भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 311

मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक ज़िला एक उत्पाद

311. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:
डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत लगभग 100 उत्पादों की पहचान की है;

(ख) क्या यह सच है कि ओडीओपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले से उदयगिरि वुडन कटलरी और पातुरू कॉटन सिल्क साड़ियों को चिह्नित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली ज़िले से एटीकोप्पाका खिलौनों, ताड़ के पत्तों के उत्पादों और पायकाराओपेट सिल्क साड़ियों को क्रमशः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक उत्पादों के रूप में चिह्नित किया गया है;

(घ) ओडीओपी के अंतर्गत चिह्नित किए जाने के बाद से इन उत्पादों के उत्पादन, विपणन और विक्रय से हुई आय और रोज़गार संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दी गई या दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या ओडीओपी के अंतर्गत और उत्पादों को शामिल करने की मांग है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार करना है ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को सक्षम बनाया जा सके। ओडीओपी उत्पादों का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 26 जिलों से 99 उत्पादों (26 प्राथमिक,

26 द्वितीयक, 21 तृतीयक और 26 विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद) को चिह्नित किया है। एसपीएसआर नेल्लोर जिले के उदयगिरि लकड़ी की कटलरी (प्राथमिक) और पातुरु सूती रेशम साड़ियों (द्वितीयक) ओडीओपी उत्पाद को चिह्नित किया गया है और अनाकापल्ली जिले के एटीकोप्पाका लैकरवेयर/लकड़ी के खिलौने (प्राथमिक), ताड़ के पत्ते (द्वितीयक) और पायकाराओपेट सिल्क साड़ियों (तृतीयक) के ओडीओपी उत्पाद को चिह्नित किया गया है।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसारः

i. लगभग 100 हथकरघा बुनकर पायकाराओपेट सिल्क साड़ियों की बुनाई में लगे हुए हैं। ओडीओपी के तहत इसकी पहचान के बाद से, हथकरघा और वस्त्र विभाग के तहत 10.08 करोड़ रुपए का उत्पादन मूल्य संसूचित किया गया है।

ii. आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और ओडीओपी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

iii. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत के कुल 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समुद्री खाद्य निर्यात में से विशाखापत्तनम पत्तन के माध्यम से समुद्री उत्पादों का निर्यात मूल्य 2.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2025 में यह हिस्सेदारी 50.87 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 48.89 प्रतिशत थी।

(ङ): ओडीओपी पहल के तहत चिह्नित उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने और उनकी दृश्यता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश से चिह्नित उत्पाद भी शामिल हैं। इन कदमों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी को सुगम बनाना, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से क्षमता निर्माण पहल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) - ओडीओपी बाजार के लिए ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग अभियान शामिल है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ ओडीओपी उत्पादों को शोकेस और उसे स्टॉक करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीओपी का प्रचार करने के लिए, विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ एनगेजमेंट, वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियोंमें भागीदारी की गई है। इसके अलावा, विभिन्न ओडीओपी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में होने वाली बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में उपहार स्वरूप प्रदान करने में भी इन उत्पादों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के हथकरघा विपणन सहायता (एचएमए) घटक के अंतर्गत अपने उत्पादों के विक्रय के लिए विपणन सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो (एनएचई) और राज्य स्तरीय हथकरघा एक्सपो (एसएचई) आयोजित किए जाते हैं। हथकरघा और वस्त्र विभाग ने राज्य में निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों को चिह्नित करने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के साथ सहयोग किया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की शाफरी प्रमाणन स्कीम का उद्देश्य निर्यात बाजारों के लिए गुणवत्तापूर्ण, एंटीबायोटिक-मुक्त जलीय कृषि उत्पादों का उत्पादन सुनिश्चित करना है। इस स्कीम के तहत, राज्य में पात्र जल कृषि हैचरी और फीड विनिर्माण इकाइयों को शाफरी प्रमाणन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग ने पीएमएमएसवाई उप-घटक, "परंपरागत मछुआरों के लिए नावों और जालों के प्रतिस्थापन" के तहत परंपरागत मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौकाएं और जाल प्रदान करके तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सशक्तिकरण के लिए समुद्री शैवाल संवर्धन इकाइयों की स्थापना के माध्यम से समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देकर मत्स्य पालन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के उपाय किए हैं।

(च): ओडीओपी के तहत और अधिक उत्पादों को शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******